वज़ीर सिंह और अन्य बनाम बाबू राम
(एम.एम. पुंछी, न्यायमूर्ति)

समक्ष

श्री एम. एम. पुंछी माननीय न्यायमूर्ति

वज़ीर सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

बाबू राम,-प्रतिवादी.

आपराधिक विविध. क्रमांक 406-एम-1983.

13 जुलाई 1983.

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय)-धारा 169, 170 और 173-आरोपी को दोषमुक्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई पुलिस रिपोर्ट-मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से सहमत थे और आरोपी को उन्हमोचित कर रहे थे-उसी अपराध के संबंध में एक शिकायतकर्ता द्वारा बाद में मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई -मजिस्ट्रेट-क्या ऐसी शिकायत पर आरोपी को तलब किया जा सकता है।

ये निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट से निपटने के दौरान मजिस्ट्रेट का कार्य, चाहे वह धारा 169 या 170 की प्रकृति की रिपोर्ट हो, न्यायिक है और अभियुक्त को उन्हमोचित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्रकृति को किसी भी तरह से संहिता की धारा 354 के मानकों के अनुरूप निर्णय नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि इसका अंत अभियुक्त के बरी होने या दोषसिद्धि में न हो। विरोधाभासी रूप से उन्मोचन के मात्र आदेश को निर्णय नहीं कहा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो पुलिस रिपोर्ट पर उन्मोचन का आदेश पारित करने के बाद मजिस्ट्रेट को शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने में कोई रोक नहीं है।

(पैरा 5)

वज़ीर सिंह और अन्य बनाम बाबू राम
(एम.एम. पुंछी, न्यायमूर्ति)

भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 1981 क्रिमिनल लॉ जर्नल 795।

से असहमत।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि याचिका स्वीकार की जाए और विरोध याचिका दिनांक 1 जुलाई, 1981 अनुबंध 'पी-1' और उसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं को बुलाने का आदेश, - अपने आदेश दिनांक 14 जुलाई, 1982, अनुबंध 'पी-2' के तहत और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने का आदेश - अपने आदेश दिनांक 1 दिसंबर, 1982 के तहत, परिशिष्ट 'पी-3' को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खारिज किया जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरूक्षेत्र की अदालत में आगे की कार्यवाही इस माननीय न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक रोक दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुरजीत कौर तौंके।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आर. एस. चीमा।

आदेश

श्री एम. एम. पुंछी माननीय न्यायमूर्ति (मौखिक):

1. याचिकाकर्ता ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक समन आदेश के खिलाफ व्यथित हैं, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 341/506 और 323 के तहत अपराधों के लिए आने और जांच का सामना करन
का आदेश था। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय से संपर्क किया है।

2. मोटे तौर पर तथ्य ये हैं कि एक अपराध किया गया था और शिकायतकर्ता-पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। आरोपियों-याचिकाकर्ताओं ने उन्हें रोका और धमकी

दी कि अगर मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो उन्हें मार दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता वजीर सिंह ने कथित तौर पर स्वर्ण सिंह को लाठी से मारा। पिछली घटना को अलग रखते हुए पुलिस को दूसरी घटना की जानकारी दी गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341/506/323 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। अंततः, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169/173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इससे सहमत होकर 1 जुलाई, 1981 को आरोपी को उन्हमोचित कर दिया। उसी दिन, उपरोक्त एफ.आई.आर. में उद्धृत एक चश्मदीद गवाह, बाबू राम ने उपरोक्त अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की।

3. मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर अपराधों का संज्ञान लिया और प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद, आरोपी-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सम्मन आदेश जारी किया। अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं ने इस बिंदु पर असफल रूप से सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि, पुलिस रिपोर्ट पर अभियुक्त के उन्हमोचित होने के बाद, शिकायत पर अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सका। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन यह न्यायालय भी उनके बचाव में नहीं आया; क्योंकि मजिस्ट्रेट को अभी तक अपना दिमाग नहीं लगाना था कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ना है या नहीं और उस स्थिति में, मामले को इस उद्देश्य के लिए दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया था। इसके बाद उत्तराधिकारी मजिस्ट्रेट ने विवादित आदेश पारित किया जिसने इस याचिका को जन्म दिया।

4. मिस टौंके ने मोटे तौर पर आग्रह किया है कि जब मजिस्ट्रेट ने पुलिस मामले में उन्हमोचित करने का आदेश पारित कर दिया है, तो उन्हीं तथ्यों के संबंध में अपराधों का संज्ञान लेना उनकी शक्ति में नहीं होगा, जिन पर वह पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। **भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**[1] मामले में पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था; जिसमें विचार यह था कि जब तक किसी न्यायिक कार्यवाही में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता, तब तक उस

[1] 1981 क्रिमिनल लॉ जर्नल 795।

न्यायिक आदेश की पवित्रता को संरक्षित रखा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में यह माना गया कि मजिस्ट्रेट शिकायत के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकता। लेकिन उपरोक्त पटना उच्च न्यायालय के फैसले के लिए, इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला कोई प्राधिकारी नहीं है।

5. मुझे ऐसा लगता है कि धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट से निपटते समय मजिस्ट्रेट का कार्य, चाहे वह धारा 169 या 170 की प्रकृति की रिपोर्ट हो, दंड प्रक्रिया संहिता, न्यायिक है और उसके द्वारा पारित आदेश की प्रकृति वही रहेगी। निस्संदेह, न्यायिक कार्यों के अभ्यास में पारित इस तरह के आदेश को किसी भी तरह से एक निर्णय नहीं कहा जा सकता है ताकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के मानकों के अनुरूप हो, जब तक कि इसका अंत आरोपी के बरी होने या दोषसिद्धि में न हो। विरोधाभासी रूप से उन्हमोचित के मात्र आदेश को निर्णय नहीं कहा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो पुलिस रिपोर्ट पर उन्हमोचित का आदेश पारित करने के बाद मजिस्ट्रेट को शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने में कोई रोक नहीं है। इस प्रकार, पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान रखते हुए, मैं उनके विचार का पालन करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि यह संहिता की भावना और प्रावधानों को पराजित करेगा।

6. फिर यह तर्क दिया गया कि शिकायत किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है और सहायक प्रारंभिक साक्ष्य भी किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं। विशेष रूप से, यह सामने लाया गया है कि वज़ीर सिंह द्वारा स्वर्ण सिंह पीडब्लू को कथित तौर पर की गई मारपीट किसी भी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। दूसरे, कथित तौर पर दी गई धमकी सशर्त थी और शिकायतकर्ता-पक्ष के लिए वैकल्पिक रास्ता अपनाकर उस धमकी से बचना वैकल्पिक था। और तीसरा, कोई गलत रोक नहीं हो सकती क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष केवल बातचीत में व्यस्त था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मामला प्रारंभिक चरण में है, इसलिए मैं इस स्तर पर इन प्रश्नों से निपटने का प्रस्ताव नहीं रखता। यदि याचिकाकर्ताओं को सलाह दी जाए तो वे आरोप-पूर्व चरण में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष ये प्रश्न उठा सकते हैं।

7. अंत में, यह तर्क दिया गया है कि कथित तौर पर अपराध प्रकृति में तुच्छ हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के दायरे में आते हैं। उस मामले को भी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाया जाना चाहिए, न कि वर्तमान याचिका में।

8. उपरोक्त कारणों से, उस याचिका में कोई योग्यता नहीं है जिसे खारिज किया जाता है। आपराधिक विविध क्रमांक 2666/1983 दस्तावेजों के उत्पादन के लिए इस आदेश द्वारा निपटारा किया जाता है।

9. पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 29 जुलाई, 1983 को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।